

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित: 3 नवंबर, 2009
निर्णय दिया गया: 5 नवंबर, 2009

आप.पुन.या. सं. 650/2003 और आप.वि.आ. सं.1146/2003

श्रीमती सीता देवी और अन्य याचीगण

द्वारा: श्री राजेश महाजन, न्यायमित्र।

बनाम

दिल्ली राज्य और अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री मनोज ओहरी, अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय सुश्री न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है?
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हाँ

न्या. इंदरमीत कौर

दिनांक 05.03.2003 को विद्वान महानगर दंडाधिकारी ने सीता देवी और उमा रानी को भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया; दिनांक 10.03.2003 के दंड के आदेश अनुसार उन्हें 5,000/- रुपये की

राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ-साथ शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने हेतु 6 महीने की अवधि के लिए अच्छे आचरण की परीक्षा पर रिहा करने की सजा सुनाई गई थी।

2. यह निर्णय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील की विषय-वस्तु बन गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 05.08.2003 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत दोनों याचीगण की दोषसिद्धि की पुष्टि की थी; उन्हें दी गई परीक्षा की सजा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था।

3. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका ने इस दोषसिद्धि को चुनौती दी है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दिखाने के लिए कोई चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता को कोई चोट लगी थी; डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया गया था; आवश्यक परिणाम यह है कि शिकायतकर्ता को वास्तव में कोई चोट नहीं लगी थी; शिकायतकर्ता के विवरण के अनुसार अभियुक्त अर्थात् सीता देवी और उमा रानी अपने-अपने पतियों के साथ थीं जब वे शिकायतकर्ता के घर में प्रवेश कर रही थीं; अभियोजन पक्ष द्वारा पतियों का परीक्षण क्यों नहीं किया गया, इसका उत्तर नहीं दिया गया है; शिकायतकर्ता का बेटा अवतार सिंह घटना के समय मौजूद था; उसका भी परीक्षण नहीं किया गया है। याचीगण की दोषसिद्धि इन अंतर्निहित दोषों से

ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है; दोषसिद्धि को अपास्त किया जा सकता है।

4. नीचे दिए गए दो न्यायालयों द्वारा तथ्य के दो समवर्ती निष्कर्ष हैं; यह न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति द्वारा केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब विधि की कोई स्पष्ट त्रुटि या गलत दृष्टिकोण अपनाया गया हो या जहां निचले न्यायालय ने साक्ष्य का गलत मूल्यांकन किया हो जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल हुआ हो और अन्यथा नहीं।

5. इन मापदंडों को न्यायनिर्णीत करने पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि.सा.-1 के बयान का परीक्षण किया गया है; वह शिकायतकर्ता बचन कौर हैं; उन्होंने शपथ पर अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 24.05.1999 को लगभग प्रातः 11.30 बजे विद्या सागर के साथ उनकी पत्नी सीता देवी और मदन मोहन की पत्नी उमा रानी और विद्या सागर की बहू इस घर पर कब्जा करने के उद्देश्य से उसके घर आए थे; अभि.सा.-1 ने उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई थी; उन्होंने उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया; सीता देवी ने उसे पकड़ लिया जबकि उमा रानी ने उसके दाएँ हाथ पर एक तेज धार वाली वस्तु से प्रहार किया; अभि.सा.-1 को चोटें आईं; उन्हें एस.डी.एन. अस्पताल ले जाया गया; उनका बयान अभि.सा.-1/ए अभिलिखित किया गया।

6. अपनी प्रति-परीक्षा में अभि.सा.-1 ने स्वीकार किया है कि उमा रानी और सीता देवी दोनों ने अपने-अपने पतियों के साथ घर में प्रवेश किया; पूरा घर

उसके कब्जे में है। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपनी निजी वस्तुओं के साथ उसके घर में प्रवेश किया था; उसके बेटे अवतार सिंह ने पुलिस को फोन किया; उन्होंने इस तथ्य से इंकार किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी।

7. अभि.सा.-1 के इस विवरण से यह स्पष्ट है कि अवतार सिंह ने पुलिस को बुलाया था, घर में उसकी उपस्थिति सत्यापित नहीं की गई है।

8. अभि.सा.-1 का विवरण स्पष्ट, सुसंगत और प्रभावशाली है; मामूली प्रकार की विसंगतियों को नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा उचित रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। यह भी सामने आया है कि शिकायतकर्ता और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच विवाद रहा था और एक मुकदमा लंबित था; इसे जांच अधिकारी एस.आई. कुमार जेवेश्वर अभि.सा.-2 के बयान द्वारा भी पुख्ता किया गया है। ब.सा.-1 यह स्थापित करने के लिए साक्षी कठघरे में भी आए थे कि रोहताश कुमार द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट पालन, कब्जा, क्षति और अंतःकालीन लाभ के लिए एक वाद दायर किया गया था। ब.सा.-2 ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध रोहताश कुमार द्वारा दायर शिकायत मामले की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी। उक्त दस्तावेजों को ब.सा.-2/ए से ब.सा.-2/सी के रूप में प्रमाणित किया गया। रोहताश कुमार विद्या सागर और सीता देवी का पुत्र है।

9. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता अर्थात् सीता देवी और उमा रानी एक-दूसरे की सास और बहू हैं। शिकायतकर्ता और याचीगण के बीच शत्रुता

प्रमाणित होती है जिसे विचारण न्यायालय ने याचीगण के कृत्य के उद्देश्य के रूप में उचित रूप से उत्तरदायी ठहराया है।

10. अभि.सा.-2 द्वारा पीड़िता के एमएलसी को एकत्र किया गया है जिसमें साधारण और नुकीली चोटों का प्रमाण मिला था। डॉक्टर साक्षी कठघरे में नहीं आए थे और पीड़िता के एमएलसी को प्रदर्शित नहीं किया गया था। फिर भी बताई गई चोटें साधारण हैं और इन परिस्थितियों में डॉक्टर के लिए चोटों की प्रकृति को सत्यापित करना अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह साधारण चोट का मामला था।

11. साधारण चोट के मामले में यह अनिवार्य नहीं है कि एक चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। चिकित्सीय साक्ष्य एक समर्थक साक्ष्य है न कि एक ठोस साक्ष्य। धारा 323 के तहत एक आरोप के लिए, चिकित्सा रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है यदि 'मारपीट' के तथ्य को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाता है; सरिता देवी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (1997) 2 बी.एल.जे.आर. 1483 (पैट)।

12. याचीगण की दोषसिद्धि किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती। पुनरीक्षण याचिका बिना गुणागुण सार के है। खारिज की जाती है।

(न्या. इंदरमीत कौर)

5 नवंबर, 2009

'एनएस'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।